

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

झारखण्ड का कार्यालय, राँची

OFFICE OF THE
PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(A&E) JHARKHAND, RANCHI

No. PEN-III/Jharkhand/DR/2025-26/



सत्यमेव जयते

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

Dated:- /10/2025.

UNDER SPECIAL SEAL AUTHORITY NO.-- 94/2025-26.

To,

The

1.	Principal Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Saifabad, Hayderabad	500004
2.	Director of Audit & Pension Govt. of Arunachal Pradesh, Naharlagun	791110
3.	Accountant General (A&E), Assam, Guwahati, Maidamgaon Beltola, Guwahati	781029
4.	Accountant General (A&E), Bihar, Birchand Patel Marg, R- Block, Patna	800001
5.	Accountant General (A&E), Chatisgarh, ziro Point, Blauda Bazar Road, Raipur	493111
6.	Deputy Director of Accounts/P.L.I. Govt. of Goa, Directorate of Accounts, Pension Section, Panji, Goa	403101
7.	Accountant General (A&E), Gujrat, Ahmedabad Branch, Audit Bhawan, Navarangpura, Ahmedabad	380009
8.	Accountant General (A&E), Haryana, Lekha Bhawan, Plot No. 4 & 5, Sector-33-B, Chandigarh	160047
9.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Himachal Pradesh, Gorton Castle Building, Shimla	171003
10.	Principal Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Near Exhibition Ground, Srinagar	190009
11.	Principal Accountant General (A&E), Karnataka, Residency Park Road, Post Box No. 5329/5369 Bangalore	560001
12.	Accountant General (A&E), Kerala, Post Box No. 5607, M.G. Road, Thiruvananthapuram	695001
13.	Accountant General (A&E), Madhya Pradesh, Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior	474002
14.	Principal Accountant General (A&E), Maharashtra, 2 nd Floor, Pratishtha Bhawan, New Marine Lines, Maharshi Karve Road, Mumbai	400020
15.	Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Civil Line, Nagpur	440001
16.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Manipur, Imphal	795001
17.	Accountant General (A&E), Meghalaya, Shilong	793001
18.	Accountant General (A&E), Mizoram, Shri Bualhranga Building, Dinthar, Aizawl	796001
19.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Nagaland, Kohima	797001
20.	Accountant General (A&E), Orissa, Bhubaneswar	751001
21.	Accountant General (A&E), Punjab & Union Territory of Chandigarh, Sector-17E, Chandigarh	160017
22.	Principal Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhagwan Das Road, Jaipur	302005
23.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Sikkim, Lekha Pariksha Bhawan, Deorai, PO-Tadong, Gangtok	737102
24.	Accountant General (A&E), Tamil Nadu, 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai	600018
25.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Tripura, PO- Kunjaban, Agartala	799006
26.	Accountant General (A&E)-II Uttar Pradesh, 20 Sarojini Naidu Marg, Prayagraj, Uttar Pradesh.	211001.
27.	Accountant General (A&E), Uttarakhand, Dehradun, Oberoy Motor Building,	248171

पो. डोरण्डा, राँची - 834002 (झारखण्ड) P.O. Doranda, Ranchi - 834 002 (Jharkhand)

दूरभाष / Telephone : 0651-2412942, 2412582, Fax : 0651-2411745

E-mail : agaejharkhand@cag.gov.in

Letter No. 2898 dt. 14/10/25

	Saharanpur Road Majra, Dehradun	
28.	Principal Accountant General (A&E), West Bengal, Treasury Buildings, No.-2, Govt, Place (West), Kolkata	700001
29.	Director of Accounts and Treasuries, Govt of Pondicherry, Pondicherry	605001
30.	Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, 3 rd Floor, Akbar Bhawan, New Delhi	110007
31.	Pay & Accounts Officer (V), Delhi Administration, TIS Hazari, New Delhi	110124
32.	Chief Controller of Accounts, M/o External Affairs to the Indian Mission, Kathmandu, Akabar Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi	110021
33.	Accountant General (A&E), Telangana, Haydrabad	500004

Subject :- Enhancement rate of Dearness Relief of Pre-Revised Pay scale (Sixth Pay) to the Jharkhand State Government Pensioners/family pensioners w.e.f. 01/01/2025 (Enhanced from 246 % to 252%) & Enhancement rate of Dearness Relief of Pre-Revised Pay scale (Fifth Pay) to the Jharkhand State Government Pensioners/Family Pensioners w.e.f. 01/01/2025 (Enhanced from 455% to 466%).

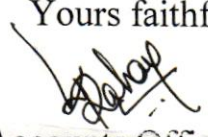
Sir,

I am to enclose herewith the copy of Government of Jharkhand, Finance Department L. No.33/वि०(अपुनरीक्षित भत्ता)—138/2024 - 1715/ वि. दिनांक-17/07/2025 & 33-वि०(अपुनरीक्षित भत्ता)-138/2024-1717/वि० दिनांक 17/07/2025 on the subject stated above under Special Seal Authority for your information and immediate circulation among all pension disbursing authorities under your Jurisdiction.

Receipt of the above Special Seal Authority may please be acknowledged.

Encl:-As stated above.

Yours faithfully,


Sr. Accounts Officer/Pen-III
Jharkhand, Ranchi.

Pen. 1 Gen. Dy. NO-236 Dt. 28-07-25

पुन. 3 Gen. Dy. NO. 563 dt. 1/8/25
सं.सं. : 33-वि.(अपुनरीक्षित भत्ता)-138/2024 17/5/25

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची/दिनांक 17/07/2025

संकल्प

विषय : राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि. (2), दिनांक 28.02.2009 के द्वारा राज्य सरकार के सेवीवर्ग को केन्द्र सरकार के कर्मियों के भाँति दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से छठा पुनरीक्षित केन्द्रीय वेतनमान/वेतन संरचना की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प की कंडिको-15 (ई.) के अनुसार राज्य कर्मियों को केन्द्रीय दर पर महँगाई भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। वित्त विभागीय संकल्प सं. 217/वि. दिनांक 18.01.2017 के द्वारा राज्य कर्मियों को सप्तम वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिया गया है।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय) के पत्र संख्या- 1/1(2)/2025-E.II (B), दिनांक 02.04.2025 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान/वेतन संरचना (छठा वेतनमान) में दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ते की दर को 246% (दो सौ छियालीस प्रतिशत) से बढ़ाकर 252% (दो सौ बावन प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत किया गया है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्र के अनुरूप राज्य कर्मियों, जिनका सप्तम वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण नहीं हुआ है, उनके मामले में अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में संशोधन हेतु निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :-

“राज्य के सेवीवर्ग, जिनके वेतनमान/वेतन संरचना का पुनरीक्षण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि. (2), दिनांक 28.02.2009 के द्वारा किया गया है, उन्हें दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 246% (दो सौ छियालीस प्रतिशत) से बढ़ाकर 252% (दो सौ बावन प्रतिशत) स्वीकृत किया जाय।”

4. झारखंड सेवा संहिता के परिभाषित नियम-34(ए) के अनुसार मूल वेतन पर महँगाई भत्ता देय है, परन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन इत्यादि पर देय नहीं होगा।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1599/वि० दिनांक 07.07.2025 के क्रम में दिनांक 11.07.2025 की बैठक के मद सं० 19 में दी गई है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक.), झारखंड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रशांत कुमार)

सचिव,

वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

Shri Sharm

28/7/25

Sharmas Ji
50-24
28/7

ज्ञापांक : 33-वि.(अपुनरीक्षित भत्ता)-138/2024/1715/राँची, दिनांक 17/07/2025

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय/ महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/ महालेखाकार (ले. एवं हक.), झारखंड, राँची/ मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव/ सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ सभी आरक्षी अधीक्षक/ सभी कोषागार/ उप-कोषागार पदाधिकारी/ जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग/ वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, झारखंड, राँची/ कोषागार एवं सांस्थिक वित्त निदेशालय, वित्त विभाग को संबंधित बैंक को सूचित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/ महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि महंगाई भत्ते की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची की सहमति प्राप्त करने के बाद ही अपने स्तर से आदेश निर्गत किया जाय/ सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को e-गजट के रूप में राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशन करने तथा पी०एम०यू० कोषांग के श्री कृष्ण मुरारी तिवारी को विभागीय Website पर upload करने हेतु प्रेषित।

(प्रशांत कुमार)
सचिव,

वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

AAO/ Sai

AAO/ Pen 2

AAO/ Pen - 3

AAO/ Pen - 4

AAO/ Pen - 5

AAO/ Pen - 6

Pen-1

L-1664

Pen-1 Gen-Dy. NO-235 Dt. 28-07-25

सं.सं. : 33-वि.(अपुनरीक्षित भत्ता)-138/2024 1717/18

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची / दिनांक 17/07/2025

संकल्प

विषय : राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि., दिनांक 28.02.2009 के द्वारा राज्य सरकार के सेवीवर्ग को दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से छठा केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनमान/वेतन संरचना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्त विभागीय संकल्प 217/वि. दिनांक 18.01.2017 के द्वारा राज्य कर्मियों को सप्तम वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिया गया है।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/1(3)/2025-E.II(B), दिनांक 02.04.2025 के द्वारा केन्द्र सरकार एवं केन्द्रीय स्वशासी निकाय के वैसे कर्मी, जो अपुनरीक्षित पंचम वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, के लिये दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ते की दर 466% (चार सौ छियासठ प्रतिशत) कर दी गयी है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में राज्य के वैसे संवर्ग/कर्मी, जो अपुनरीक्षित पंचम वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को वर्तमान में अनुमान्य महँगाई भत्ता की दर को निम्नरूपेण संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :-

“राज्य के वैसे संवर्ग/कर्मी, जो अपुनरीक्षित पंचम वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए केन्द्र के अनुरूप दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 455% (चार सौ पचपन प्रतिशत) से अभिवृद्धि करते हुए 466% (चार सौ छियासठ प्रतिशत) स्वीकृत किया जाय।”

4. झारखण्ड सेवा संहिता के परिभाषित नियम-34(ए) के अनुसार मूल वेतन पर महँगाई भत्ता देय है, परन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन इत्यादि पर देय नहीं होगा।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1601/वि० दिनांक 07.07.2025 के क्रम में दिनांक 11.07.2025 की बैठक के मद सं० 21 में दी गई है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक.), झारखण्ड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रशांत कुमार)

सचिव,

वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।

Shri Shanti
श्री शंति

EDP Pen
L-1666
to Pen-1 Shanti

ज्ञापांक : 33-वि.(अपुनरीक्षित भत्ता)-138/2024. 17/7/राँची, दिनांक 17/07/2024

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय/
महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/महामलेखाकार (ले. एवं हक.), झारखण्ड, राँची/मुख्य
सचिव के संयुक्त सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी
उपायुक्त/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी/जन सूचना कोषांग,
वित्त विभाग/वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार एवं सांस्थिक वित्त निदेशालय
को संबंधित बैंक को सूचित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/निकासी एवं व्ययन
पदाधिकारी, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/महानिबंधक, झारखण्ड
उच्च न्यायालय, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि महँगाई भत्ते की इस स्वीकृति के संबंध
में माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची की सहमति प्राप्त करने के बाद ही
अपने स्तर से आदेश निर्गत किया जाय/सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची
को e-गजट के रूप में राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशन करने तथा पी०एम०यू० कोषांग के श्री
कृष्ण मुरारी तिवारी को विभागीय Website पर upload करने हेतु प्रेषित।

(प्रशांत कुमार)

सचिव,

वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।

AAO/ sar

AAO/ Pen - 2

AAO/ Pen - 3

AAO/ Pen - 4

AAO/ Pen - 5

AAO/ Pen - 6